	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 10, बुधवार, शाके 1947- दिसम्बर 31, 2025 Pausa 10, Wednesday, Saka 1947- December 31, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :-बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम-1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-61) की धारा-17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे पूर्व मे प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रों के लिए एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	अधिकारी	जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है
1	समस्त श्रम निरीक्षक, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	समस्त श्रम निरीक्षक, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
3	समस्त श्रम निरीक्षक, बालोतरा	बालोतरा जिला
4	समस्त श्रम निरीक्षक, फलोदी	फलोदी जिला
5	समस्त श्रम निरीक्षक, कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली-बहरोड़ जिला
6	समस्त श्रम निरीक्षक, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
7	समस्त श्रम निरीक्षक, सलूम्बर	सलूम्बर जिला
8	समस्त श्रम निरीक्षक, राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
9	समस्त श्रम निरीक्षक, डीग	डीग जिला
10	समस्त श्रम निरीक्षक, ब्यावर	ब्यावर जिला

राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।